(5)

(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1643—एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 08—04—13 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा प्रकरण कमांक 11/अ—12/2012—13

....

जगेश्वर वल्द बालकराम
मुकाल गुबरेल तहसील मोहखेड़
व जिला छिंदवाडा

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा जिलाध्यक्ष छिंदवाडा म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा के प्रकरण कमांक 11/अ—12/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 08—04—13 से परिवेदित होकर म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में आगे केवल ''संहिता'' कहा जावेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार मोहखेड के समक्ष संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन किये जाने हेतु मौजा ग्राम गुबरेल पटवारी हल्का नम्बर 07/23 रा0नि0मं0सांवरी में स्थित भूमि जिसका खसरा नम्बर 265/3 बन्दोबस्त नम्बर 128 रकवा 2.225 हेक्टेयर भूमि

का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 11 / अ—12 / 2012—13 मोहखेड से आदेश दिनांक 22—1—2013 ज्ञापन क्रमांक 159 प्रस्तुत तहसील सांवरी मोहखेड़ आवेदक जागेश्वर, रामेश्वर, रामस्वरूप जितेश पिता बालकराम बढई की भूमि का सीमांकन दिनांक 8—4—2013 को सीमांकन कार्य करने हेतु पक्षकार को सूचित करते हुये उपस्थित रहकर चान्दों का स्थल पर नक्शा के अनुरूप खोज की मौके पर आर0आई0 एवं हल्का पटवारी के द्वारा बिना नाप किये चान्दा एवं सीमांकन चिन्ह प्राप्त न होने से सीमांकन कार्य नहीं हो पाया उस आधार पर सीमांकन आदेश दिनांक 8—4—2013 की राजस्व अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि राजस्व निरीक्षक सांवरी द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत तहसीलदार द्वारा सीमांकन किये जाने के आदेश दिये किन्तु सीमांकन अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किये बिना अवैधानिक रिपोर्ट तहसील के न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें सीमाचिन्ह चान्दा उपलब्ध नहीं होने के कारण सीमांकन कार्य नहीं किया जा सकता इस प्रकार राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किये बिना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो गलत है । तर्क में यह भी बताया किया अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन आदेश का पालन राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा विधि अनुसार सीमांकन कार्यवाही नहीं की गई है और सीमांकन चान्दा एवं पत्थर से नाप किये बिना अवैधानिक तरीके से पंचनामा सीमांकन रिपोर्ट मिथ्या आधारों पर बिना स्थल निरीक्षण किये प्रस्तुत की है जो गलत है । आवेदक अपनी भूमि का सीमांकन भूमि स्थल बन्दोबस्त नम्बर 128 पटवारी हल्का नम्बर 07 / 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल सॉवरी तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाडा में स्थित भूमि जिसका खसरा नम्बर 265 / 3 रकुवा 2.225 हेक्टर भूमिस्वामी पुनः सीमांकन करना चाहता है परन्तु राजस्व

अधिकारी द्वारा अलग अलग सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर भ्रमित किया जा रहा है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि सीमांकन दिनांक 8—4—13 को किये गये सीमांकन प्रतिवेदन विधि अनुसार नहीं होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यही कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5— प्रकरण में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 8—4—2013 को सीमां चिन्हों के अभाव में सीमांकन कार्य नहीं किया जा सका, की रिपोर्ट प्रस्तुत की । तहसीलदार ने दिनांक 15—4—2013 को उक्त प्रतिवेदन को देखे बिना सीमांकन हो गया, यह मानकर उसकी पुष्टि कर दी । तहसीलदार की यह कार्यवाही कार्य के प्रति उनकी घोर लापरवाही दर्शाती है । प्रकरण में तहसीलदार का आदेश दिनांक 15—4—2013 निरस्त कर तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह स्वयं अपने सामने निकटतम स्थायी चिन्हों की पहचान कर यह सीमांकन सम्पन्न करावें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर